**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1201

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**विश्‍वविद्यालयों में विमान रखरखाव संबंधी पाठ्यक्रम**

1201. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के सभी विश्वविद्यालयों में विमान रखरखाव से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विमान रखरखाव में स्‍नातक स्‍तरीय डिग्री कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम अवसंरचना तैयार की है ताकि विश्‍वविद्यालों को यूजीसी द्वारा शुरू की गई विकल्‍प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीएसई) के अंतर्गत उनके परिसरों में यह कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आगे आने हेतु प्रोत्‍साहित किया जा सके। सभी उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं द्वारा इसके कार्यान्‍वयन हेतु यह पाठ्यक्रम यूजीसी की वेबसाइट <http://www.ugc.ac.in/> पर उपलब्‍ध है। तथापि, विश्‍वविद्यालयों से इन पाठ्यक्रम को अपनाने से पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का अनुमोदन प्राप्‍त करने का अनुरोध किया गया था, क्‍योंकि डीजीसीए, विमान सुरक्षा और उड़ान योग्‍यता मानकों हेतु विनियमों और मानदंडों का निर्धारित करने हेतु एक सांविधिक निकाय है। यह सभी विश्‍वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे पाठ्यक्रम में नामांकन करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी और जागरूकता हेतु अपनी वेबसाइट पर अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रदर्शित करें।

इसके अतिरिक्‍त, ‘एयरक्राफ्ट मैन्‍टेनेंस इंजीनियरिंग’ पाठ्यक्रम एआईसीटीई अनुमोदन प्रक्रिया हस्‍तपुस्तिका के पाठ्यक्रमों की सूची में पहले से ही उपलब्‍ध है।

**\*\*\*\*\***